I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 11/04/2022 19:15 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 23/07/2015 **Date To (दिनांक तक):** 11/04/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/04/2022 **Time (समय):** 17:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 024 **Date and Time (दिनांक और समय):** 11/04/2022 18:59 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 130 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला महेन्द्र गढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Naresh Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 13/11/1972 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	baslambi, DLF-II, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	baslambi, DLF-II, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	डा0 दीपक शेखावत			1. जिला महेन्द्रगढ हरियाणा, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम।, श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 03.03.2018 नारनौल की पड़ताल उप निरीक्षक जयचन्द, रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र रेवाड़ी द्वारा पूर्ण की गई है। जांच में आरोप था कि डा0 दीपक शेखावत द्वारा दुसरे पक्ष से साजबाज होकर गलत एम०एल०आर० तैयार करने शिकायतकर्ता की पत्नी शकुन्तला का एम०एल०आर० तैयार ना करने उसकी अच्छी एम०एल०आर० तैयार करने के लिए 25000/ रुपये की रिश्वत की मांग करने तथा शिकायत कर्ता से 600/ रूपये नाजायज लेने बारे डा० दीपक शेखावत द्वारा 25000/ रुपये रिश्वत की मांग करने की रिकार्डिग उसके लड़के रजनीश द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 7827925734 से डा० दीपक शेखावत के मोबाईल नम्बर 7056262760 की फोन पर हुई वार्तालाप की रिकार्डिग की सी०डी० शिकायत के साथ कार्यवाही के लिये प्राप्त हुई। जांच अधिकारी द्वारा आरोप की पड़ताल से पाया गया कि दिनांक 23.07.2015 को डा० दीपक शेखावत की डयूटी एस०एम०ओ० सी०एच०सी० महेन्द्रगढ़ के आदेशानुसार जी०एच० महेन्द्रगढ़ में सांय की शिफ्ट की थी। शिकायतकर्ता श्री घनश्याम पुत्र श्री रामचन्द जाति ब्राह्मण गांव निम्बी जिला महेन्द्रगढ़ का दिनांक 23.07.2015 को पडोसी सुरेन्द्र से झगडा हो गया था। जिसमें शिकायतकर्ताए उसके लडके रजनीश व उसकी पत्नी शकुन्तला को चोटे आई थी जिन चोटो का ईलाज व चिकित्सा परीक्षण करवाने के लिए वो सभी सिविल हस्पताल महेन्द्रगढ़ में सांय करीब 07:00 बजे गए थे। जहां पर अस्पताल में डॉ० दीपक शेखावत वहां पर मिलाए जिनको शिकायतकर्ता द्वारा पूरा वाक्या तथा अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की चोटो बारे बतलायाए जिस पर डॉ० दीपक शेखावत ने बतलाया कि उनसे पहले सुरेन्द्र की पत्नी मन्जू का भी डाक्टरी मुआयना करके सख्त एम०एल०आर० बनाई है और उसने मन्जू को नारनौल हस्पताल भेज दिया है और तुम्हारी छः महीने तक जमानत नहीं होगी। इस प्रकार डॉ० दीपक शेखावत ने उसे व उसके लड़के को काफी डराया और उससे कहा कि अगर 25000/ रूपये दोगे तो वह उनकी एम०एल०आर० अच्छी बना देगाए नही तो एम०एल०आर० हल्की बनेगी। जिससे उनको सजा हो जायेगी। जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा डाक्टर से कहा कि गरीब आदमी है इतनी बड़ी राशि नही दे सकते। जिस पर डॉ० दीपक शेखावत ने उनसे 600/ रूपये नकद ले लिए और उसके लडके रजनीश की एम०एल०आर० बनाकर उसकी एक प्रति दे दी तथा एम०एल०आर० पर हस्ताक्षर करवा लिए लेकिन कॉपी नहीं दी और शिकायतकर्ता की पत्नी की चोटो का डाक्टरी मुआयना नहीं किया और ना ही उसकी एम०एल०आर० काटी। डॉ० दीपक शेखावत ने शिकायतकर्ता व उसके लड़के को कहा कि 25000/ रूपये लेकर रात को ही कनीना हस्तपताल में आ जाना तथा पैसे दे देना वंही पर एम०एल०आर० दे देगा तथा शिकायतकर्ता की पत्नी की एम०एल०आर० भी अच्छी बना देगा। इसके उपरान्त शिकायतकर्ता के लडके रजनीश ने अपने मोबाईल न० 7827925734 से डॉ० दीपक शेखावत के मा०न० 7056262760 पर रात करीब 9:15 बजे डाक्टर की मुबलिक 25000/ रूपये की नाजायज तरीके से रिश्वत की मांग को अपने मोबाईल में रिकार्ड करके सी०डी० तैयार कर ली थी। शिकायतकर्ता घनश्याम व उसके बेटे रजनीश से डॉ० दीपक शेखावत से हुई बातचीत का विवरण जिसमे डॉ० दीपक शेखावत द्वारा दोनो से रिश्वत की मांग करने के अंश इस प्रकार से है रजनीश. फेर मेरे पास थोडे पैसे की व्यवस्था कम हुई है डाक्टर साहब 15000/ रूपये बने है। डॉ० दीपक शेखावत. नहीं वो तो पूरे करने पड़ेगे जी आपको जल्दी कर दो और आ जाओ। रजनीश हो वो तो पूरे करने पडेगे पूरे तो डाक्टर साहब मेरे पारा तो मतलय 15000 बन है सो वो भी किसी से लेकर आया हूँ गांव में जाकर तुरन्त डॉ० दीपक शेखावत. देखो मैं फोन मे बात नहीं करूंगा आप मुझसे हस्पताल में आके मिलो और बाकि तो पूरे करने पडेंगे। धनश्याम. 20000 तक में कर दु प्लीज आपके पैर पकड रहा हूँ। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ मैं वो भी कही से लाकर देता है। डॉ० दीपक शेखावत. चलो ठीक है डा0 आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। घनश्याम. मैं सुबह 5-6 बजे सर जी मेरे को अब नही पायेगे बाकि जो है ना जो है ना गांव में जाकर करूंगा। डॉ० दीपक शेखावत. ठीक है ठीक है घनश्याम प्लीज आप कनीना में सुबह 5 और 6 के बीच 20000 रूपये लेकर आ सकता हूँ। लास्ट सर जी डॉ० दीपक शेखावत.ठीक ठीक है। रिकार्डिन्ग करते समय रजनीश ने जय प्रकाश पुत्र पूर्ण सिंह व छत्रपाल सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी निम्बी को भी अपने साथ होना बतलाया है। शिकायतकर्ता की शिकायत वा पेश की गई सी०डी० के अनुवाद से डॉ० दीपक शेखावत तत्कालीन M.O.P.H.C धनौदा द्वारा 25000/रूपये रिश्वत की मांग करनी पाई जानेए सिविल सर्जन नारनौल की रिपोर्ट न० स्था -1-2019/1634 दिनांक 25.09.2019 के अनुसार डॉ० दीपक शेखावत द्वारा कोई भी एम०एल०आर० का रिकार्ड संस्था में जमा नहीं किया जाने तथा शिकायतकर्ता की MLR से सम्बन्धित असल रिकार्ड भी विभाग में जमा नहीं करवाया जाने पर डॉ० दीपक शेखावत के विरूद्ध धारा 7 पी0सी0 एक्ट व 409 भा०द०स० का मुकदमा दर्ज करने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके उचित माध्यम से महानिदेशक रा०चौ०ब्यू०, हरियाणा पंचकुला को भेजी गई।

जिस अन्तिम रिपोर्ट पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 49/01/2018-4 चौ-1 दिनांक 15/03/2022 के अनुसार तथा मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठ कमांक 4610/ आई-.2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 22/3/2022 के अनुसार आरोपी डाक्टर दीपक शेखावत तत्कालीन मैडिकल ऑफिसर सी०एच०सी० कनीना (महेन्द्रगढ़) के विरूद्ध धारा 7 पी०सी० एक्ट व धारा 409 भा०द०स० के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। जिस पर तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु मुख्यालय रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला भेजी गई । मुख्यालय रा0चौब्यू0 पंचकुला द्वारा पत्र क्रमांक 5687/I-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 08.04.22 के अनुसार तहरीर अनुमोदित कि गई है । आरोपी डॉ० दीपक शेखावत तत्कालीन मैडिकल ऑफिसर सी०एच०सी० कनीना (महेन्द्रगढ़) द्वारा धारा 7 पी०सी० एक्ट व 409 भा0द०स० के अन्तगर्त अपराध करने पर उसके विरूद्ध अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मु0सि0 उदयवीर सिंह नं0 805/पलवल के द्वारा थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को बिना किसी देरी के भिजवाई जावे तथा अभियोग अनुसंधान अफसरान बाला के आदेश अनुसार नि0 नवल किशोर, रा0चौ0ब्यू0 उपकेन्द्र नारनौल को सौंपा जाये । पृ0 पत्र क्रमांक 4610/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 22.03.2022 के अनुसार जाँच क्रमांक 03.03.2018 नारनौल की प्राप्त हुई 4 फाईल पेज नम्बर अनुसार सलंग्न है । अज – कार्यालय रा0चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम , SD नरेश कुमार उप निरीक्षक , राज्य चौकसी ब्यूरो , गुरुग्राम। 11/04/2022 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बदस्त मु0सि0 उदयवीर सिंह नं0 805/पलवल के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक नवल किशोर राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र नारनौल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा मु0सि0 उदयवीर सिंह नं0 805/पलवल के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** nawal kishore **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 511 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1975				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)